सूचना अनुभाग

संख्या- 272 / XXII (1)/2016-1(11)2015

दिनांक : 25 मई 2016

<u>अधिसूचना/प्रकीर्ण</u>

राज्यपाल उत्तराखण्ड इलेक्ट्रानिक मीडिया विज्ञापन मान्यता निमयावली 2015 व उक्त नियमावली के प्रथम संशोधन दिनांक 09 फरवरी 2016 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात

नियम-6 का संशोधन - मूल नियमावली में नियम-6 जो स्तम्भ-1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बिन्दु संख्या 06	बिन्दु संख्या 06
सूचीबद्वता के लिए मापदण्ड :-	सूचीबद्वता के लिए मापदण्ड :-
(6)(2) (छः) चैनल को उनकी आवेदित श्रेणी के अनुसार केबिल आपरेटरों के प्रसारण अनुबंध की नोटरी प्रमाणित प्रति/ DTH से अनुबंध प्रति उपलबध करानी होगी।	(छः) चैनल को उनकी आवेदित श्रेणी के अनुसार केबल आपरेटरों/ DTH के द्वारा प्रसारण की सत्यता के संदर्भ में अधिकृत आवेदनकर्ता/चैनल स्वामी द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र उपलबध कराना अनिवार्य होगा।

नियम-7 का संशोधन - मूल नियमावली के प्रथम संशोधन के नियम-7 जो स्तम्भ-1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बिन्दु संख्या 07	
दर निर्धारण एवं विज्ञापन निर्गत करना	
(7)(एक) किसी श्रेणी के सूचीबद्व चैनल के लिए उक्त दरें प्राईम टाइम बैण्ड के लिए है। यदि किसी कैटेगरी में सूचीबद्व चैनल प्राइम टाइम बैण्ड के अलावा अन्य टाइम बैण्ड में प्रसारण करता है तो उसे उसकी सूचीबद्वता श्रेणी की दर से नीचे की श्रेणी की दरों पर	विलोपित

भुगतान किया जायेगा।	
(7) (दो) इस सशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्व चैनलों को 06 माह हेतु पुरानी दरों पर सूचीबद्व माना जायेगा। 06 माह के उपरान्त नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्व चैनलों को सूचीबद्व कर दरें निर्धारित की जायेंगी। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होग कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानको को पूर्ण करें अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्वता निरस्त हो जायेगी।	(दो) पुनः इस सशोधित नियमावली के लागू होने की तिथि से पूर्व विभाग में विभिन्न दरों पर सूचीबद्व चैनलों को आगामी 30 सितम्बर 2016 तक पुरानी दरों पर सूचीबद्व माना जायेगा। नीति में निर्धारित श्रेणी क, ख, ग, घ के अनुरूप ही पूर्व में सूचीबद्व चैनल जो नई दरें प्राप्त कराना चाहते है उन्हे नई सूचीबद्वता के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदन करना होगा। यह पूर्णतः चैनल का दायित्व होगा कि वे विभागीय नीति के अनुरूप मानको को पूर्ण करें। अन्यथा पूर्व में चली आ रही सूचीबद्वता निरस्त हो जायेगी।

(विनोद शर्मा)
सचिव

संख्या- 272 (1)/ XXII (1)/2016 तद्दिनाक

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त कुमाउ एवं गढवाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
9. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
10. उप निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वह इस नियमावली का प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित कर नियमावली की दो सो प्रतियॉ सूचन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(विनोद शर्मा)
सचिव